

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर, जिला अजमेर

रसद प्रार्थना पत्र संख्या 27/2018

राजस्थान सरकार जरिये श्रीमती रेणुका चतुर्वेदी, प्रवर्तन अधिकारी, अजमेर

.....प्रार्थी

बनाम

दानिया रेस्टोरेन्ट, भण्डारा गली, नला बाजार, अजमेर जरिये मो0 अनीश पुत्र श्री मो0 यासीन, निवासी-भण्डारा गली, नला बाजार, अजमेर

.....अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम

उपस्थित: श्रीमती रेणुका चतुर्वेदी, प्रवर्तन अधिकारी, अजमेर – पैरोकार सरकार

आदेश

दिनांक 19.06.2018

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 13.03.2018 को जिला रसद अधिकारी अजमेर (प्रथम) के निर्देशानुसार प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के व्यवसाय स्थल की जांच करने पर अप्रार्थी द्वारा अपने व्यवसाय स्थल पर घरेलू गैस सिलेण्डर द्वारा भोजन बनाकर ग्राहको को कीमतन विक्रय करते पाये जाने पर अप्रार्थी के व्यवसायिक स्थल से दो घरेलू गैस सिलेण्डर

S.NO.	S.R.NO.	CO.	T.W.	G.W.	N.W.GAS	TYPE
1	132402	BPCL	15.8	28	12.2	Domestic
2	677623	IOC	16.3	28	11.7	Domestic

को कब्जेराज लिया गया। घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक कार्य में दुरुपयोग एलपीजी (रेग्युलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश 2000 के खण्ड 3 (1) (C) का उल्लंघन है। अतः दो घरेलू सिलेण्डर को राजहित में कब्जेराज लेकर मौके पर ख्वाजा गैस एजेन्सी के कार्मिक श्री हनुमान पुत्र सोहन लाल, निवासी पाल बीचला, अजमेर को सुपुर्दगी में दिया गया। प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जब्तशुदा दोनो घरेलू सिलेण्डर को राजसात करने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी ने उपस्थित होकर जवाब नोटिस प्रस्तुत किया। सुनवाई चाहने पर उपस्थित को सुना गया।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि दिनांक 13.03.2018 को जांच दौरान अप्रार्थी द्वारा अपने व्यवसाय स्थल पर घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक दुरुपयोग किया जाना पाया गया। घरेलू गैस सिलेण्डर का



जिला कलक्टर
अजमेर

व्यवसायिक दुरुपयोग एल.पी.जी. आदेश 2000 के खण्ड 3 (1) (C) का उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हैं। अतः कब्जेराज लिये गये दोनो घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात फरमाया जावें।

जवाब में अप्रार्थी का कथन है कि वक्त निरीक्षण रेस्टोरेन्ट से जब्त किये गये दोनो घरेलू गैस सिलेण्डर अप्रार्थी के नहीं होकर पड़ौसी दुकान मालिक श्री इफतकार चिश्ती के है। अप्रार्थी के पास घरेलू गैस सुविधा नहीं है तथा वह अपने रेस्टोरेन्ट पर कोयले की भट्टी का उपयोग करता है। अप्रार्थी के पड़ौसी दुकानदार ने दोनो गैस सिलेण्डर अप्रार्थी के रेस्टोरेन्ट पर रख दिये थे। अप्रार्थी का उक्त सिलेण्डर से कोई लेना देना नहीं है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध दर्ज प्रकरण को खारिज फरमाया जावें।

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। अप्रार्थी द्वारा जवाब में ऐसे कोई आधारभूत कथन, दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के दर्ज नहीं किये गये हैं, जो प्रार्थना पत्र कथनो का खण्डन करते। वक्त जांच उनके द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग अपने व्यवसाय स्थल पर किया जाना पाया गया है। इससे उपरोक्त अवैद्य कृत्य अप्रार्थी का स्वतः ही साबित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कब्जेराज लिये गये दो घरेलू गैस सिलेण्डर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत राजसात किया जाता है। चूकिं उक्त सिलेण्डर को संबन्धित कम्पनी अमानत राशि लेकर नये उपभोक्ताओं को जारी करेगी। अतः पूर्व में जमा अमानत राशि राजकोष में जमा करवाई जावें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 19.06.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।



a
(आरती डोगरा)
जिला कलक्टर
अजमेर